## प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिये यह प्रतिवेदन जो राजस्थान में अवैध खनन के निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राजस्थान में अवैध खनन पर आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा, समय-समय पर संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत किया गया है।

इसमें वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि को शामिल किया गया है, हालांकि, खान एवं भूविज्ञान विभाग के कामकाज में सुधार की नमूना जांच माह अक्टूबर 2021 तक की गई है। इस प्रतिवेदन में राजस्थान में अवैध खनन पर आधारित निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम शामिल हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा के मानकों, 2017 के अनुरूप की गई है।